न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-14/2017-2018
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

1. श्री राम प्रसाद यादव, पुत्र-गहनु यादव, सा0-वार्ड नं0-04, सोनामनी गोदाम, सिकटिया, मेगरा मेहंदीपुर, जिला-अररिया
2. श्री रौकी लाल मंडल, पिता-झटकन मंडल, स0-बौका मजरख, थाना-सिकटी जिला-अररिया..........विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1940/हि0शा0, दिनांक 24.05.2017) के आलोक में जोगबनी थाना कांड संख्या-21/17, दिनांक 16.02.2017 धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 37(I)/38(A) बिहार उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38B-9533, चेचिस सं0-MBLHA11EE99-B15937, ईजन संख्या-MA11EA99B32431 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जोगबनी थाना कांड संख्या-21/17, दिनांक 16.02.2017 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. श्री राम प्रसाद यादव, पुत्र-गहनु यादव, सा0-04, सोनामनी गोदाम, सिकटीया, मेगरा मेंहदीपुर, जिला-अररिया एवं 2. श्री रौकी लाल मंडल, पिता-झटकन मंडल, सा0-बौका मजरख, थाना-सिकटी, जिला-अररिया के विरुद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रुचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि दिनांक 16.02.2017 को विश्वसनीय सूत्रों से कार्यवाहक कमांडेट श्री मणीन्द्र कुमार सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नेपाल से शराब लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कार्यवाहक कमांडेट ने स्पटेशन सर्च टीम, जिसमें उपनिरीक्षक/सामान्य कृष्णा गुप्ता, मुख्य आरक्षी/सामान्य गुरुबिंदर सिंह, आरक्षी/सामान्य अब्राहम एम0एस0, आरक्षी/सामान्य अशोक जगताले, आरक्षी/सामान्य के0 मुरली मोहन, आरक्षी/सामान्य निरंजन झा, आरक्षी/सामान्य मो0 असलम रजक थे, को उक्त के संदर्भ में बुलाकर ब्रीफ करते हुये सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। सूचना के आधार पर पार्टी कमाण्डर के आदेशानुसार पार्टी को उसरीघाट, विशनपुर, कुशमाहा (नवनिर्मित) पुल के पास चेकिंग लगाया गया। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाने लगी। चेकिंग के दौरान लगभग 15:10 बजे विपक्षी नेपाल की ओर से हीरो होण्डा बाईक संख्या-BR38B-9553 से आ रहा था विपक्षी के पीठ पर एक काले रंग का बैग था। शक होने पर पार्टी कमाण्डर के आदेश के अनुसार विपक्षी को रोका गया। पार्टी कमाण्डर के आदेशानुसार पार्टी द्वारा विपक्षी की पीठ पर काले रंग के बैग	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	की तलाशी ली गयी। विपक्षी के बाईक की डिक्की की तलाशी ली गई। तलाशी के कम में विपक्षी की डिक्की से शराब की कुछ बोतलें प्राप्त हुई, जिसमें BLENDERS PRIDE लिखा हुआ था। आपके मोटर साईकिल से पूरी बोतल निकालने के बाद गिनती किया गया, जिसमें 09 बोतल बड़ी (प्रति बोतल 750 एम0एल0) तथा 19 बोतलें छोटी (प्रति बोतल 375 एम0एल0) मिली। विपक्षी की तलाशी लेने के उपरान्त आपके पास से 1. मोबाईल (SAMSUNG IMEI-358800/07/ 852260/5) व मोबाईल में लगे हुए दो सिम प्राप्त हुये, जिसमें एक भारतीय एयरटेल एवं दूसरा नेपाली एनसेल का है। बरामद 28 बोतल शराब, 01 हीरो होण्डा बाईक एवं आपको (राम प्रसाद यादव) अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस स्टेशन में सुर्पुद किया गया। बरामद शराब तथा जब्त मोटर साईकिल संख्या-BR-38B-9533 को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिकय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरुद्ध जोगबनी थाना कांड संख्या-21/2017, दिनांक 16.02.2017, धारा-272/273 भा0द0वि0 37(I)38(A) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में आपको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38B-9533 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38B-9533 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार जोगबनी थाना कांड संख्या-21/17, दिनांक 16.02.2017 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38B-9533, चेचिस सं0-MBLHA11EE99- B15937, ईंजन संख्या-MA11EA99B324-31 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1012/विधि, अररिया, दिनांक 31/5/2019 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया 25.05.2019	

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)